N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0197   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 02/08/2025 17:30 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 21/07/2025   Date To (दिनांक तक): 31/07/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 20:00 बजे   Time To (समय तक): 11:49 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 02/08/2025   Time (समय): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय) 02/08/2025 17:30:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 70 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): KARYALYA UPKHAND ADHIKARI, LAKHERI JILA BUNDI

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAMAVTAR MEENA

(b) Father's Name (पिता का नाम): NANDKISHOR

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1998 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	IKBALGANJ,LABAN, INDRAGARH, DEIKHERA, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	IKBALGANJ,LABAN, INDRAGARH, DEIKHERA, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KRAMVEER SINGH HADA		पिता:BHAGWAN SINGH HADA	1. P.W.D. COLONY VIGYANNAGAR,VIGYAN NAGAR,KOTA CITY,RAJASTHAN,INDIA
2	SHIV MAHESH YOGI		पिता:SATYNARAYAN	1. BRHAMPURI COLONY,LAKHERI,BUNDI,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		35,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 35,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 21.07.2025 समय 8.00 पीएम पर परिवादी श्री रामावतार मीणा द्वारा एसीबी हेल्प लाईन ब्यूरों मुख्यालय जयपुर पर श्री कर्मवीर, रीडर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी द्वारा परिवादी के परिवार की ग्राम लबान में स्थित 04 बीघा जमीन भारतमाला सडक परियोजना में आवाप्त हो जाने पर परिवादी द्वारा उक्त भूमि के मुआवजा हेतु तरमीम संशोधन का एक वाद कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी में कर रखा था। उक्त वाद का निर्णय परिवादी के पक्ष में करने एवं निर्णय /दावा डिग्री की प्रति चाहने पर रीडर कर्मवीर द्वारा निर्णय /दावा डिग्री की प्रति देने की एवज में रिश्वत मांगने बाबत शिकायत की गई। एसीबी मुख्यालय की हेल्प लाईन द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी के मोबाईल नम्बर से अवगत कराया जाकर परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किया गया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त सूचना पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मेरी दादी स्वं. झूमा बाई के नाम 04 बीघा जमीन ग्राम लबान में स्थित है, जो भारतमाला सडक परियोजना में आवाप्त हो गई है। उक्त जमीन के मुआवजे के लिए भूमि के तरमीम संशोधन का एक वाद कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी में कर रखा था। मेरे द्वारा उक्त वाद के निर्णय /दावा डिग्री की प्रति मांगने पर उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के रीडर कर्मवीर द्वारा निर्णय /दावा डिग्री की प्रति देने की एवज में मेरे से 50 हजार रिश्वत मांग रहा है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी रामावतार को समझाईश की कि अभी रात्रि का समय है, दिनांक 22.07.2025 को राम सिंह कानि को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु तुम्हारे पास भेज देगे। इस पर श्री राम सिंह कानि को दिनांक 22.07.2025 को परिवादी से सम्पर्क कर गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पश्चात दिनांक 22.07.2025 को श्री राम सिंह कानि को परिवादी के मोबाईल नम्बर[redacted] से अवगत करवाकर मय सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु प्राईवेट वाहन से चौकी बून्दी से लाखेरी हिदायत देकर रवाना किया गया। इसके उपरान्त रामसिंह मय डिजीटल वॉइस रिकार्डर के वापस चौकी पर आया तथा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एवं परिवादी रामावतार मीणा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को मन उप पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि मै चौकी बून्दी से रवाना होकर समय 10.30 एएम के करीब लाखेरी बस स्टैण्ड पर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री रामावतार मीणा उपस्थित मिला जिसने मौखिक रूप से उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के रीडर कर्मवीर के विरूद्व रिश्वत मांगने की शिकायत की सूचना देना स्वीकार किया तथा सूचना के अनुसार आरोपी कर्मवीर रीडर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के विरूद्व कार्यवाही के सम्बन्ध में एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मुझ कानिस्टेबल राम सिंह को पेश किया एवं मन कानि को बताया कि रीडर कर्मवीर मुझसे एक डेढ बजे के करीब मिलेगा। जिस पर मै एवं परिवादी दोनो एक दूसरे से दूरी बनाकर लाखेरी बस स्टेण्ड के आसपास मुकीम रहे। तत्पश्चात निर्देशानुसार परिवादी रामावतार मीणा को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर आरोपी रीडर कर्मवीर के पास रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया। इस दौरान मै परिवादी से थोडी दूरी बनाते हुये पास ही अपनी उपस्थिती छुपाते हुये मौजूद रहा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया जिसने डीवीआर मुझे देकर बताया कि आरोपी रीडर कर्मवीर उसके कार्यालय पर मौजूद मिला जिससे हमारी जमीन के मुआवजे के लिए किये गये वाद की निर्णय/ दावा डिग्री की प्रति देने सम्बन्धी वार्ता हुई तथा आरोपी रीडर कर्मवीर से मैने रिश्वत की राशि कम करने के लिए काफी निवेदन किया तो रीडर कर्मवीर 35 हजार रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हो गया। मेरे व आरोपी कर्मवीर रीडर के मध्य जो भी वार्ता हुई है वह इस डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है। जिस पर मन कानिस्टेबल द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो परिवादी के कथनों की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी ने बताया कि मै रिश्वत में दी जाने वाली राशि की दो चार दिन में व्यवस्था करके आपके कार्यालय में

उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर निर्देशानुसार परिवादी को मौके से रवाना कर मन कानिस्टेबल मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के एसीबी कार्यालय बून्दी आया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो कथित आरोपी द्वारा परिवादी से 35 हजार रिश्वत की मांग करने की पुष्टि होना पाया गया है। अतः ट्रेप कार्यवाही का आयोजन आईन्दा से किया जावेगा। तत्पश्चात दिनांक 24.07.2025 को परिवादी श्री रामावतार उपस्थित कार्यालय एसीबी चौकी बून्दी आया। जिससे मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 22.07.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में पूछताछ की तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया तथा मौखिक रूप से अवगत कराया कि मेरी दादी स्वं. झूमा बाई के नाम 04 बीघा जमीन ग्राम लबान में स्थित है, जो भारतमाला सडक परियोजना में आवाप्त हो गई है। उक्त जमीन के मुआवजे के लिए भूमि के तरमीम संशोधन हेतु एक वाद कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी में कर रखा था। मेरे द्वारा उक्त वाद के निर्णय /दावा डिग्री की प्रति मांगने पर श्रीमती भावना सिंह उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के रीडर कर्मवीर द्वारा निर्णय /दावा डिग्री की प्रति देने की एवज में मेरे से 50 हजार रिश्वत मांग रहा था। जिसकी शिकायत मैने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के हेल्पलाईन नम्बर 1064 पर दी थी। सत्यापन के दौरान उक्त आरोपी कर्मवीर रीडर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी की बातचीत की रिकोर्डिंग भी की है। सत्यापन के दौरान आरोपी कर्मवीर रीडर से मेरे द्वारा निवेदन किया तो 35 हजार रूपये रिश्वत लेने हेतु सहमत हो गया। परन्तु उसने रिश्वत लेनदेन के लिए दिनांक 28.07.2025 को कार्यालय में बुलाया है। परिवादी से हुई वार्ता के अनुसार दिनांक 28.07.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था करके उक्त दिनांक को कस्बा लाखेरी में उपस्थित मिलने की हिदायत देकर सकुशल रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.07.2025 को ट्रेप कार्यवाही होना सम्भावित है एवं दिनांक 26, 27.07.2025 को सरकारी कार्यालयो में अवकाश है, इसलिए आज ही ट्रेप की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की दिनांक 28.07.2025 को समय 10.00 एएम पर तलबी हेतु कानि मनोज कुमार 452 को तहरीर दी जाकर कार्यालय सहायक अभियंता जेवीवीएनएल बून्दी रवाना किया गया । श्री मनोज कुमार कानि 452 कार्यालय सहायक अभियंता जेवीवीएनएल बून्दी से वापस आया और बताया कि दिनांक 28.07.2025 को समय 10.00 एएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो गवाह श्री रामसागर गुर्जर तकनीशियन द्वितीय एवं श्री सचिन सुमन तकनीशियन द्वितीय को कार्यालय एसीबी चौकी बून्दी में उपस्थित होने बाबत पाबन्द कर दिये गये है। गवाह पाबन्द पत्र की प्रति पेश की गई, जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.07.2025 को मन उप अधीक्षक पुलिस ने जर्ये टेलिफोन परिवादी श्री रामावतार मीणा से सम्पर्क कर ट्रेप कार्यवाही बाबत पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 35 हजार रूपये का इंतजाम कर लिया है तथा परिवादी ने यह बताया कि हमारे क्षेत्र में अधिक तेज बरसात होने के कारण मै बून्दी नही आ सकता हूं एवं मै रिश्वत में दी जाने वाली राशि 35 हजार रूपये लेकर आपको पापडी रेलवे पुलिया के नीचे मिल जाउंगा। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को उसके द्वारा बताये गये स्थान पर मिलने हेतु पुनः समझाईश की गई। तत्पश्चात समय कार्यालय सहायक अभियंता जेवीवीएनएल बून्दी से स्वतंत्र गवाह श्री रामसागर गुर्जर पुत्र श्री भंवर लाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी ग्राम देवपुरा थाना करवर जिला बून्दी हाल तकनीशियन द्वितीय कार्यालय सहायक अभियंता जे.वी.वी.एन.एल. प्रथम बून्दी मोबाईल नम्बर [redacted] श्री सचिन सुमन पुत्र श्री दिनेश कुमार सुमन जाति माली उम्र 37 साल निवासी वार्ड नम्बर 06 जैन मन्दिर की गली कापेन थाना कापेन जिला बून्दी हाल तकनीशियन प्रथम कार्यालय सहायक अभियंता जे.वी.वी.एन.एल. द्वितीय बून्दी मोबाईल नम्बर [redacted] उपस्थित कार्यालय आये। प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। समय 1.15 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के क्रम में श्री टिंकू कंवर महिला कानि 474 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाई जाकर सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्कबोर्ड में रखवाई गई। ट्रेप कार्यवाही हेतु प्राईवेट वाहन से श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस मय श्री मनोज कानि, श्री रामसिंह कानि एवं स्वतंत्र गवाह श्री रामसागर एवं मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक मय जाप्ता श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106, श्री विक्रम सिंह कानि एवं स्वतंत्र गवाह श्री सचिन सुमन मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री प्रेम प्रकाश मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, ईयरफोन एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली अन्य सामग्री के साथ प्राइवेट वाहन से परिवादी से हुई वार्तानुसार पापडी रेलवे पुलिया लाखेरी रवाना हुयें। मन् उप पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राइवेट वाहन से पापडी रेलवे पुलिया के नीचे पहुॅचें, जहां परिवादी रामावतार मीणा उपस्थित मिला। परिवादी श्री रामावतार मीणा से दोनो स्वतंत्र गवाहो का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतंत्र गवाहो को पढकर सुनाया गया । उक्त गवाहो ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह मौजूद रहने की मौखिक सहमति व्यक्त कर प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रामावतार पुत्र श्री नन्दकिशोर मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ थाना देईखेडा जिला बून्दी ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 70 नोट कुल राशि 35,000 रूपये मन उप अधीक्षक हरीश भारती के समक्ष पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है - क्र.स. नोट का विवरण नोट का नम्बर 1 एक नोट पांच सौ रूपये 4RL874319 2 एक नोट पांच सौ रूपये 4RL874344 3 एक नोट पांच सौ रूपये 8BC834345 4 एक नोट पांच सौ रूपये 3LF219651 5 एक नोट पांच सौ रूपये 9AF974832 6 एक नोट पांच सौ रूपये

1AA097491 7 एक नोट पांच सौ रूपये 7CL149366 8 एक नोट पांच सौ रूपये 7WB635850 9 एक नोट पांच सौ रूपये 2WA619766 10 एक नोट पांच सौ रूपये 0RU491238 11 एक नोट पांच सौ रूपये 3TT279032 12 एक नोट पांच सौ रूपये 4VH156951 13 एक नोट पांच सौ रूपये 6KK056851 14 एक नोट पांच सौ रूपये 5UH039777 15 एक नोट पांच सौ रूपये 6WC905175 16 एक नोट पांच सौ रूपये 2VW216893 17 एक नोट पांच सौ रूपये 8NU344642 18 एक नोट पांच सौ रूपये 2DE570152 19 एक नोट पांच सौ रूपये 5BD422806 20 एक नोट पांच सौ रूपये 5MT121941 21 एक नोट पांच सौ रूपये 7CE318253 22 एक नोट पांच सौ रूपये 3GG318285 23 एक नोट पांच सौ रूपये 7KC286819 24 एक नोट पांच सौ रूपये 1AN367701 25 एक नोट पांच सौ रूपये 5BD422807 26 एक नोट पांच सौ रूपये 5BD422810 27 एक नोट पांच सौ रूपये 4PM881486 28 एक नोट पांच सौ रूपये 8HP623491 29 एक नोट पांच सौ रूपये 9AS757388 30 एक नोट पांच सौ रूपये 0FS038741 31 एक नोट पांच सौ रूपये 1HU829673 32 एक नोट पांच सौ रूपये 4LL367493 33 एक नोट पांच सौ रूपये 3VV543088 34 एक नोट पांच सौ रूपये 3TU583956 35 एक नोट पांच सौ रूपये 4BC196023 36 एक नोट पांच सौ रूपये 2GH396560 37 एक नोट पांच सौ रूपये 0PA697224 38 एक नोट पांच सौ रूपये 3LL456048 39 एक नोट पांच सौ रूपये 5KA252748 40 एक नोट पांच सौ रूपये 8GR067014 41 एक नोट पांच सौ रूपये 7TG410481 42 एक नोट पांच सौ रूपये 8BB009526 43 एक नोट पांच सौ रूपये 7MM616306 44 एक नोट पांच सौ रूपये 0WS832846 45 एक नोट पांच सौ रूपये 8KA650951 46 एक नोट पांच सौ रूपये 0MQ325400 47 एक नोट पांच सौ रूपये 0NH267508 48 एक नोट पांच सौ रूपये 8PU428779 49 एक नोट पांच सौ रूपये 3WP620044 50 एक नोट पांच सौ रूपये 3WB891688 51 एक नोट पांच सौ रूपये 3NV538284 52 एक नोट पांच सौ रूपये 8AN916908 53 एक नोट पांच सौ रूपये 6HC772019 54 एक नोट पांच सौ रूपये 0LU273194 55 एक नोट पांच सौ रूपये 3WB891689 56 एक नोट पांच सौ रूपये 1KD355249 57 एक नोट पांच सौ रूपये 3BV881804 58 एक नोट पांच सौ रूपये 4PC292215 59 एक नोट पांच सौ रूपये 1CS134511 60 एक नोट पांच सौ रूपये 6GM191761 61 एक नोट पांच सौ रूपये 8UU210180 62 एक नोट पांच सौ रूपये 0WU629644 63 एक नोट पांच सौ रूपये 9BL126634 64 एक नोट पांच सौ रूपये 5SS832910 65 एक नोट पांच सौ रूपये 2FF547332 66 एक नोट पांच सौ रूपये 9EH317848 67 एक नोट पांच सौ रूपये 5KT306221 68 एक नोट पांच सौ रूपये 6SF996505 69 एक नोट पांच सौ रूपये 0BN538229 70 एक नोट पांच सौ रूपये 1RC982994 उक्त नोटों के नम्बर मन् उप अधीक्षक एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटो के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये श्री प्रेम प्रकाश चालक 350 से सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्कबोर्ड में रखी फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाई गई तथा सरकारी बालेरो की पीछे वाली सीट पर अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटो पर श्री प्रेम प्रकाश चालक 350 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी रामावतार मीणा की जामा तलाशी गवाह श्री रामसागर गुर्जर से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात परिवादी रामावतार मीणा के पहनी हुयी पेंट की दाहिनीं जेब में उक्त फिनोप्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी नोटो को श्री प्रेम प्रकाश चालक 350 से रखवाये गये। तत्पश्चात एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री प्रेम प्रकाश चालक 350 की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री रामावतार मीणा व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को फिकवाया गया। श्री प्रेम प्रकाश चालक 350 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्कबोर्ड में रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, उस अखबार को जलवाया गया। श्री प्रेम प्रकाश चालक 350 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् उप अधीक्षक, परिवादी, गवाहान के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बॉक्स में रखी खाली शीशीया, ढक्क व चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी श्री रामावतार मीणा को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाया गया। परिवादी श्री रामावतार मीणा को समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद स्वयं के मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल करें अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करें। उक्त दृष्टांत कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही के क्रम में मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी

रामावतार मीणा मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली अन्य सामग्री के साथ सरकारी एवं प्राइवेट वाहन से कस्बा लाखेरी रवाना हुयें। मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राइवेट वाहन से बस स्टेण्ड परिसर लाखेरी पहुचें, जहां परिवादी रामावतार मीणा को डिजीटल वाइस रिकॉर्डर देकर आरोपी कर्मवीर रीडर के पास रिश्वत लेन-देन हेतु रवाना किया तथा श्री राम सिंह कानि. 78 व श्री मनोज कुमार कानि. 452 को परिवादी से कुछ दूरी पर मुकीम रहकर निगरानी करने के निर्देश देकर रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक, श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106, श्री विक्रम सिंह कानि एवं स्वतंत्र गवाह श्री सचिन सुमन मय चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के सरकारी वाहन बोलेरो तथा प्राईवेट वाहन में श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री रामसागर गुर्जर के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये लाखेरी बस स्टेण्ड के आसपास परिवादी/ राम सिंह व मनोज कानि की सूचना की प्रतीक्षा में मुकीम रहे तथा कार्यवाही की विडियोग्राफी हेतु इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक को कार्यालय के सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड में कार्यवाही की विडियोग्राफी करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रामावतार मीणा मन उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया तथा परिवादी रामावतार मीणा ने बताया कि मै आरोपी कर्मवीर रीडर को रिश्वत राशि देने हेतु कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के भवन में पहुंचा, जहां पर आरोपी कर्मवीर रीडर उसके कार्यालय के कमरे में उपस्थित मिला जिससे मैने अपने आने के सम्बन्ध में बताया तो आरोपी कर्मवीर ने कहा कि तुम मेरे बताये हुये समय पर नही आये हो, अब तुम मेरे द्वारा फोन करने के बाद ही मेरे पास आना। इस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं आरोपी कर्मवीर रीडर के फोन का इंतजार करने तथा आसपास मुकीम रहने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री रामावतार मीणा मन उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया, जिसने बताया कि आरोपी कर्मवीर रीडर का मेरे पास अभी तक फोन नही आया है तथा जब मेरे द्वारा आरोपी कर्मवीर रीडर के मोबाईल पर फोन किया तो आरोपी द्वारा मेरा फोन भी नही उठा रहा है, मेरे को लगता है कि आज आरोपी कर्मवीर रीडर मेरे से रिश्वत राशि नही लेगा। चूकिः परिवादी रामावतार के बताये कथनानुसार आज कर्मवीर रीडर द्वारा रिश्वत राशि नही लेने से ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होना सम्भावित नही होने से फिनोप्थलीन पाउडर युक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री रामसागर गुर्जर से परिवादी की पेंट की दाहिनीं जेब से निकलवा कर एक सफेद लिफाफे में रखकर मालखान प्रभारी श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106 को सुपुर्द की गई। ट्रेप कार्यवाही का आयोजन आईन्दा से किया जावेगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर मौके से रूखस्त किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली अन्य सामग्री के साथ सरकारी एवं प्राइवेट वाहन से एसीबी चौकी बून्दी रवाना हुआ। मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय फिनोप्थलीन पाउडर युक्त नोट मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली अन्य सामग्री के साथ सरकारी एवं प्राइवेट वाहन से एसीबी चौकी बून्दी वापस आया फिनोप्थलीन पाउडर युक्त नोट मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली अन्य सामग्री को मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी श्री रामावतार मीणा से सम्पर्क कर आईन्दा से ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। दिनांक 30.07.2025 को परिवादी श्री रामावतार मीणा ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जर्ये मोबाईल कॉल कर बताया कि मेरी रीडर कर्मवीर से बातचीत हो गई है, उसने मुझे रिश्वत राशि लेकर कल दिनांक 31.07.2025 को सवेरे एसडीएम लाखेरी के कार्यालय में बुलाया है। बरसात के कारण मै बून्दी नही आ सकता हूं। उक्त सूचना पर जाप्ता एवं स्वतंत्र गवाहो को प्रातः एसीबी चौकी पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया । दिनांक 31.07.2025 को ट्रेप कार्यवाही हेतु प्राईवेट वाहन से श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस मय श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक, श्री रामसिंह कानि एवं स्वतंत्र गवाह श्री रामसागर व श्री सचिन सुमन एवं मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय जाप्ता श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106, श्री विक्रम सिंह कानि मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री प्रेम प्रकाश मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, ईयरफोन एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली अन्य सामग्री के साथ कस्बा लाखेरी रवाना हुयें। तत्पश्चात मन् उप पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राइवेट वाहन से लाखेरी बस स्टेण्ड पहुचें, जहां परिवादी रामावतार मीणा उपस्थित मिला। परिवादी को डिजीटल वाइस रिकॉर्डर देकर आरोपी कर्मवीर रीडर के पास रिश्वत लेन-देन हेतु रवाना किया तथा श्री राम सिंह कानि. 78 व श्री विक्रम सिंह कानि. 72 को परिवादी से कुछ दूरी पर मुकीम रहकर निगरानी करने के निर्देश देकर रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता व स्वतंत्र गवाह के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये लाखेरी बस स्टेण्ड के आसपास परिवादी/ राम सिंह व विक्रम कानि की सूचना की प्रतीक्षा में मुकीम रहे तथा कार्यवाही की विडियोग्राफी हेतु इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक को कार्यालय के सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड में कार्यवाही की विडियोग्राफी करने हेतु निर्देशित किया गया। समय 11.49 एएम पर श्री राम सिंह कानि. 78 ने जर्ये मोबाईल फोन वार्ता कर आरोपी कर्मवीर सिंह हाडा (रीडर) द्वारा आरोपी शिव महेश योगी के माध्यम से परिवादी श्री रामावतार से रिश्वत प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में सूचित किया। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने आस पास मुकीम ब्यूरो टीम मय स्वतंत्र गवाह को एकत्रित कर मय वाहनो के बस स्टेण्ड परिसर लाखेरी से रवाना होकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी पहुंचे, जहां पर परिवादी रामावतार उपस्थित मिला। एसडीएम कार्यालय लाखेरी के कोर्ट रूम में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को कर्मवीर सिंह रीडर होना बताया तथा अवगत कराया कि कर्मवीर सिंह रीडर ने 35 हजार रूपये रिश्वत राशि शिव महेश योगी को देने की कहने पर शिव महेश ने उपखण्ड कार्यालय

के विडियो कॉम्प्रेस रूम में ले जाकर मेरे से प्राप्त कर अपनी पेंट की दाहिनीं जेब में रखे है। जो वही पर बैठा है। इस पर परिवादी द्वारा बताये अनुसार व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना नाम व पद का परिचय देकर उससे अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कर्मवीर सिंह हाडा पुत्र श्री भगवान सिंह हाडा उम्र 31 साल निवासी पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी विज्ञाननगर कोटा हाल तमोल खाना लाखेरी हाल कनिष्ठ लिपिक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी होना बताया। जिसको डिटेन कर उपखण्ड लाखेरी के विडियो कॉंप्रेस हॉल में पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति टीशर्ट व पेंट पहने हुये बैठा था, जिससे नाम पता पूछा तो अपना नाम पता शिव महेश योगी पुत्र श्री सत्यनारायण उम्र 25 साल निवासी क्वलडा थाना अयाना जिला कोटा हाल ब्रह्मपुरी कॉलोनी लाखेरी हाल संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑफरेटर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी का होना बताया । डिटेनशुदा शिव महेश से परिवादी से रिश्वत राशि 35 हजार रूपये प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी शिव महेश ने बताया कि यह पैसा मैने खाद बीज खरीदने के लिए रामावतार से उधार लिये है, जो मैने अपनी पेंट की जेब में रखे है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी रामावतार ने आरोपी की बातो का खण्डन करते हुये कहा कि मेरी दादी झूमा बाई के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 532 रकबा 0.61 हैक्टर भारतमाला सडक परियोजना में आवाप्त हो चुकी है, उक्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया में हमने तरमीम संशोधन का एक वाद उपखण्ड लाखेरी के कार्यालय में पेश किया हुआ है, जिसमें श्रीमती भावना सिंह उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के रीडर कर्मवीर सिंह ने निर्णय करवाकर प्रति उपलब्ध करानें की एवज में उपखण्ड अधिकारी के नाम से मेरे से 50 हजार रूपये की मांग करी थी। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई तथा मेरे द्वारा राशि कम करने के निवेदन करने पर कर्मवीर सिंह ने 35 हजार रूपये की मांग की जाकर आज बुलाया था तथा आज रिश्वत राशि स्वयं प्राप्त नही करके शिव महेश कम्प्यूटर ऑपरेटर को देने को कहा, जिस पर मैने उपखण्ड कार्यालय में मौजूद विडियो कॉंप्रेस रूम में शिव महेश को 35 हजार रूपये दिये जो उसने लेकर अपनी पेंट की जेब में रखे थे। मौके पर मौजूद आरोपी कर्मवीर सिंह से परिवादी से 35 हजार रूपये मांग कर शिव महेश संविदाकर्मी को दिलाने के सम्बन्ध में पूछताछ की तो उसने बताया कि मैने नही मांगे है उसने अपनी इच्छा से दिये है। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने आरोपी कर्मवीर की बात का खण्डन करते हुये बताया कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री भावना सिंह के समय पर मैने कर्मवीर सिंह से हमारी आवाप्तशुदा भूमि के तरमीम संशोधन के वाद के निर्णय के सम्बन्ध में बातचीत की तो कर्मवीर सिंह ने बताया कि एसडीएम मैडम बिना पैसे लिये निर्णय नही करेगी एवं एसडीएम के नाम पर 50 हजार रूपये की मांग की थी तथा तहसीलदार द्वारा हमारी आवाप्तशुदा भूमि की मौका रिपोर्ट भेजने के बावजूद भी काफी समय से हमारे वाद में निर्णय नही किया गया एवं हर पेशी पर कर्मवीर सिंह मेरे से रिश्वत की मांग करता था। जिसकी शिकायत मैने एसीबी विभाग में पेश की थी। आज कर्मवीर सिंह के कहेनुसार शिव महेश संविदाकर्मी ने मेरे से 35 हजार रिश्वत राशि प्राप्त की है। आरोपी शिव महेश द्वारा परिवादी से रिश्वत प्राप्त करने की स्पष्ट पुष्टि होने पर मौके पर उपस्थित स्वतंत्र गवाह रामसागर गुर्जर से आरोपी की पहनी हुई पेंट की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब से परिवादी से ली गई रिश्वत की राशि 35 हजार रूपये बरामद हुये। उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री रामावतार के पास सुरक्षित रखवाया गया । आरोपी शिव महेश संविदाकर्मी की पेंट की दाहिनी जेब से बरामशुदा रिश्वत राशि 35 हजार रूपये स्वतंत्र गवाह श्री रामावतार चौपदार के पास से प्राप्त कर नोटों पर अंकित नम्बरो का मिलान स्वतंत्र गवाह सचिन सुमन से फर्द पेशकशी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो गवाहान ने नोटो के नम्बर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरां से मिलान किये तो सभी नोट हु ब हु रिश्वती राशि के नोट होना पाया गया। उक्त नोटो का विवरण अंकित कर एक लिफाफे में रखवाया जाकर श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106 को सुपुर्द किये गये। इसके उपरान्त आरोपी शिव महेश संविदाकर्मी के हाथों का धोवन लिया जाने आवश्यक होने से साफ पानी की बोतल मंगवाकर दो साफ प्लास्टिक के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी शिव महेश संविदाकर्मी के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा-आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क एल.एच-1, एल.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी शिव महेश संविदाकर्मी के दायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा- आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क आर.एच-1, आर.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी शिव महेश संविदाकर्मी की पेंट की दाहिनीं जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उक्त जेब के धोवन लेने हेतु स्टॉफ से पजामा मंगवाया जाकर आरोपी की पेंट बदलवा कर पजामा पहनाया गया। इसके उपरान्त एक गिलास में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त गिलास में आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब को उल्टा करके जेब का धोवन किया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा- आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेंट को बतौर वजह सबूत एक कपडे की थैली रखकर सील्ड कर मार्क पी अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी कर्मवीर सिंह रीडर के कब्जे से बरामद एक मोबाईल रेडमी कम्पनी का बरंग गहरा आसमानी मिला, जिसमें आरोपी द्वारा दो सिम उपयोग में लेना

बताया, सिम के नम्बर क्रमशः [redacted] व दूसरी सिम के नम्बर मुझे पता नही होना बताया। उक्त मोबाईल से परिवादी एवं आरोपी के मध्य ट्रेप कार्यवाही से पूर्व में बातचीत होना सामने आया है। अतः मोबाईल को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क-एम अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी शिव महेश संविदाकर्मी के कब्जे से बरामद एक मोबाईल रियलमी कम्पनी का बरंग आसमानी मिला, जिसमें आरोपी द्वारा दो सिम उपयोग में लेना बताया, सिम के नम्बर क्रमशः [redacted] व दूसरी सिम के [redacted] होना बताया। उक्त मोबाईल से परिवादी एवं आरोपीगणो के मध्य ट्रेप कार्यवाही से पूर्व में बातचीत होना सामने आया है। अतः मोबाईल को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क-एम-1 अंकित किया गया। कार्यवाही में परिवादी श्री रामावतार की दादी झूमा बाई के खसरा तरमीम संशोधन के वाद की पत्रावली के सम्बन्ध में श्री अरविन्द शर्मा वर्तमान उपखण्ड अधिकारी लाखेरी से पूछा तो उनके द्वारा उक्त वाद की पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति पेश की गई, उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तो दिनांक 02.07.2025 को नोटशीट में उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात दिनांक 10.07.2025 को निर्णय करने का नोट अंकित है। परन्तु 10.07.2025 को निर्णय नही किया जाकर आगामी दिनांक 17.07.2025 नियत की गई है। उक्त दिनांक 17.07.2025 को भी निर्णय नही किया गया एवं इसके पश्चात किसी प्रकार की नोटशीट नही लिखी गई है। उक्त पत्रावली को शामिल कार्यवाही किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी कर्मवीर सिंह हाडा पुत्र श्री भगवान सिंह हाडा उम्र 31 साल निवासी पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी विज्ञाननगर कोटा हाल तमोल खाना लाखेरी हाल कनिष्ठ लिपिक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी द्वारा शिव महेश योगी पुत्र श्री सत्यनारायण उम्र 25 साल निवासी क्वलडा थाना अयाना जिला कोटा हाल ब्रह्मपुरी कॉलोनी लाखेरी हाल संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑफरेटर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के माध्यम से परिवादी श्री रामावतार से उपखण्ड लाखेरी के कार्यालय में भूमि तरमीम संशोधन के लम्बित वाद में निर्णय करवाने की एवज में रिश्वत की मांग कर 35 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक के द्वारा करवाई गई। आरोपीगणो का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएसएस के तहत दण्डनीय अपराध कारित करना पाया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी कर्मवीर सिंह हाडा पुत्र श्री भगवान सिंह हाडा उम्र 31 साल निवासी पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी विज्ञाननगर कोटा हाल तमोल खाना लाखेरी हाल कनिष्ठ लिपिक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.07.2025 व दिनांक 31.07.2025 की रिश्वत लेन-देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी कर्मवीर सिंह हाडा को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी कर्मवीर सिंह हाडा ने अपने प्रत्युत्तर में लिखित में जवाब पेश किया कि "मैं अपनी स्वैच्छा से आवाज का नमूना नही देना चाहता हू।" नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात आरोपी शिव महेश योगी पुत्र श्री सत्यनारायण उम्र 25 साल निवासी क्वलडा थाना अयाना जिला कोटा हाल ब्रह्मपुरी कॉलोनी लाखेरी हाल संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑफरेटर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.07.2025 व दिनांक 31.07.2025 की रिश्वत लेन-देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी शिव महेश योगी को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी शिव महेश योगी ने अपने प्रत्युत्तर में लिखित में जवाब पेश किया कि "मैं अपनी स्वैच्छा से आवाज का नमूना नही देना चाहता हू।" नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 3.30 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में मन आईओ के द्वारा परिवादी की निशादेही से बरामदगी स्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 4.00 पी.एम. पर आरोपी कर्मवीर सिंह हाडा पुत्र श्री भगवान सिंह हाडा उम्र 31 साल निवासी पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी विज्ञाननगर कोटा हाल तमोल खाना लाखेरी हाल कनिष्ठ लिपिक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएसएस का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। समय 4.30 पी.एम. आरोपी शिव महेश योगी पुत्र श्री सत्यनारायण उम्र 25 साल निवासी क्वलडा थाना अयाना जिला कोटा हाल ब्रह्मपुरी कॉलोनी लाखेरी हाल संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑफरेटर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएसएस का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी कर्मवीर सिंह हाडा पुत्र श्री भगवान सिंह हाडा उम्र 31 साल निवासी पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी विज्ञाननगर कोटा हाल तमोल खाना लाखेरी हाल कनिष्ठ लिपिक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के लाखेरी कस्बे में तमोल खाना में स्थित मकान की खाना तलाशी श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ली गई। तत्पश्चात मौके की कार्यवाही के बाद मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते के आरोपीगण कर्मवीर सिंह हाडा एवं शिव महेश

योगी को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल लेकर सरकारी/प्राइवेट वाहनों से एसीबी कार्यालय बून्दी रवाना हुआ। मौके की कार्यवाही के बाद मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते के आरोपीगण कर्मवीर सिंह हाडा एवं शिव महेश योगी को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल लेकर सरकारी/प्राइवेट वाहनों से एसीबी कार्यालय बून्दी आये तथा मुल्जिमानो को जाप्ते की निगरानी में बैठाकर जप्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही में व्यस्त हुआ। तत्पश्चात परिवादी श्री रामावतार मीणा तथा आरोपीगण कर्मवीर सिहं हाडा रीडर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी व आरोपी शिव महेश योगी संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑफरेटर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के मध्य दिनांक 22.07.2025 को हुई रिश्वत मांग वार्ता जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकॉर्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी रामावतार मीणा से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की, दूसरी आवाज आरोपी कर्मवीर सिंह रीडर की एवं तीसरी आवाज आरोपी शिव महेश योगी होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री विक्रम सिहं कानि0 72 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री रामावतार मीणा तथा आरोपी कर्मवीर सिहं हाडा रीडर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के मध्य दिनांक 28.07.2025 को हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता प्रथम जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकॉर्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी रामावतार मीणा से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की, दूसरी आवाज आरोपी कर्मवीर सिंह रीडर की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री विक्रम सिंह कानि0 72 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री रामावतार मीणा तथा आरोपी कर्मवीर सिहं हाडा रीडर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के मध्य दिनांक 31.07.2025 को हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता द्वितीय जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकॉर्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी रामावतार मीणा से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की, दूसरी आवाज आरोपी कर्मवीर सिंह रीडर की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री विक्रम सिंह कानि0 72 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। इसके उपरान्त दिनांक 01.08.2025 को परिवादी श्री रामावतार मीणा तथा आरोपी शिव महेश योगी संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑफरेटर एवं आरोपी कर्मवीर सिंह रीडर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के मध्य दिनांक 31.07.2025 को हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकॉर्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी रामावतार मीणा से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की, दूसरी आवाज आरोपी शिव महेश संविदाकर्मी की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री विक्रम सिंह कानि0 72 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री रामावतार तथा आरोपी कर्मवीर सिंह हाडा व आरोपी शिव महेश योगी के मध्य दिनांक 22.07.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 28.07.2025 को परिवादी श्री रामावतार तथा आरोपी कर्मवीर सिंह हाडा के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता प्रथम एवं दिनांक 31.07.2025 को परिवादी श्री रामावतार तथा आरोपी कर्मवीर सिंह हाडा के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता द्वितीय तथा परिवादी श्री रामावतार व आरोपी शिव महेश योगी एवं आरोपी कर्मवीर सिंह रीडर के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता जो मूल डिजीटल वाईस रिकोर्ड में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। श्री विक्रम सिंह कानि 72 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटॉप की मदद से मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे Chiptron Microsd Card कम्पनी के 4 जीबी के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड चारों वार्ताओं को KDM Connecting Forever कम्पनी के 8 जीबी के 04 पेन ड्राईव में पृथक-पृथक कॉपी (Copy) किया गया। उक्त मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय के लिए एवं कॉपी किये गये पेन ड्राईव में से दो पेन ड्राईव आरोपीगणो के लिए, एक पेन ड्राईव एफएसएल परीक्षण हेतु अतिरिक्त पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया एवं एक पेन ड्राईव अनसील्ड आईओ के लिए रखा गया। कार्यवाही की फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई एवं मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रखे मूल मैमोरी कार्ड की हैश वेल्यू मनोज कुमार कानि 452 से निकलवा कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी शिव महेश योगी पुत्र श्री सत्यनारायण उम्र 25 साल निवासी क्वलडा थाना अयाना जिला कोटा हाल ब्रह्मपुरी कॉलोनी लाखेरी हाल संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑफरेटर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी द्वारा परिवादी रामावतार से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के उपरांत बरामदगी की कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में सरकारी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। जिसे श्री विक्रम सिंह कानि 72 से मेरे निर्देशन में सरकारी

लेपटॉप के माध्यम से Sandisk कम्पनी के 32 Gb के मूल मैमोरी कार्ड से KDM Connecting Forever कम्पनी के 8 जीबी के 03 पृथक-पृथक पेन ड्राईव में लिया जाकर कॉपी (Copy) किया गया है। उक्त मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय के लिए एवं कॉपीशुदा दो पेन ड्राईव आरोपीगणों के लिए कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया एवं एक पेन ड्राईव अनसील्ड आईओ के लिए रखा गया। कार्यवाही की फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई एवं मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रखे मूल मैमोरी कार्ड की हैश वेल्यू मनोज कुमार कानि 452 से निकलवा कर शामिल पत्रावली की गई। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी रामावतार की दादी स्वं. झूमा बाई के नाम 04 बीधा जमीन ग्राम लबान में स्थित है, जो भारतमाला सडक परियोजना में आवास हो गई है। उक्त जमीन के मुआवजे के लिए भूमि के तरमीम संशोधन का एक वाद कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी में कर रखा था। परिवादी श्री रामावतार द्वारा उक्त वाद के निर्णय /दावा डिग्री की प्रति मांगने पर उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के रीडर कर्मवीर द्वारा निर्णय /दावा डिग्री की प्रति देने की एवज में परिवादी से 50 हजार रिश्वत की मांग की गई, जिसकी सूचना दिनांक 21.07.2025 को एवं लिखित शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 22.07.2025 को एसीबी चौकी बून्दी पर प्रस्तुत की गई। शिकायत का दिनांक 22.07.2025 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो परिवादी के निवेदन करने पर आरोपी कर्मवीर सिंह रीडर द्वारा उक्त भूमि तरमीम संशोधन के लम्बित वाद में निर्णय करवाने की एवज में 35 हजार रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। सत्यापन उपरान्त दिनांक 31.07.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। आरोपी कर्मवीर सिंह हाडा पुत्र श्री भगवान सिंह हाडा उम्र 31 साल निवासी पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी विज्ञाननगर कोटा हाल तमोल खाना लाखेरी हाल कनिष्ठ लिपिक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी द्वारा शिव महेश योगी पुत्र श्री सत्यनारायण उम्र 25 साल निवासी क्वलडा थाना अयाना जिला कोटा हाल ब्रह्मपुरी कॉलोनी लाखेरी हाल संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑफरेटर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के माध्यम से परिवादी श्री रामावतार से उपखण्ड लाखेरी के कार्यालय के विडियो क्रॉम्प्रेस हॉल में 35 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर पहनी हुई की दाहिनीं जेब में रखी गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि आरोपी शिव महेश की पेंट की दाहिनीं जेब से बरामद हुई तथा आरोपी के दोनो हाथों एवं पेंट की जेब का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। आरोपीगण कर्मवीर सिंह हाडा पुत्र श्री भगवान सिंह हाडा उम्र 31 साल निवासी पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी विज्ञाननगर कोटा हाल तमोल खाना लाखेरी हाल कनिष्ठ लिपिक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी एवं शिव महेश योगी पुत्र श्री सत्यनारायण उम्र 25 साल निवासी क्वलडा थाना अयाना जिला कोटा हाल ब्रह्मपुरी कॉलोनी लाखेरी हाल संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑफरेटर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएसएस के तहत प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (हरीश भारती) उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी...............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरिश भारती, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट आरोपीगण 1-कर्मवीर सिंह हाडा पुत्र श्री भगवान सिंह हाडा उम्र 31 साल निवासी पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी विज्ञाननगर कोटा हाल तमोल खाना लाखेरी हाल कनिष्ठ लिपिक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी एवं 2-शिव महेश योगी पुत्र श्री सत्यनारायण उम्र 25 साल निवासी क्वलडा थाना अयाना जिला कोटा हाल ब्रह्मपुरी कॉलोनी लाखेरी हाल संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑफरेटर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के विरूद्ध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएसएस 2023 में पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ताराचंद, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टें कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 27 पर अंकित है।(महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1116-20 दिनांक 02-08-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- जिला कलक्टर बून्दी। 3-उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी 4- उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Tara Chand **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/08/2025 17:33:07

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्रक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/08/1994				
2	Male	2000				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)